संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका/सेल–5/हरदा/2018/1235 भोपाल, दिनांक29/06/2018

//आदेश//

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालयों में सफाई, सुरक्षा एवं बायो मेडिकल वेस्ट मद में निर्धारित वार्षिक मापदण्ड राशि से अधिक राशि का व्यय किये जाने संबधी तथ्य, संचालनालय की बजट शाखा के संज्ञान में आने के परिणामस्वरूप संचालनालय स्तर पर आदेश क्रमांक 6/ बजट–2210/2018–19/228 दिनांक 21.06.2018 द्वारा जॉचदल गठित कर प्रकरण की जॉच कराते हुये जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया।

जांच दल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा में सफाई मद में निम्न वित्तीय अनियमिततायें परिलक्षित हुई :–

पूर्ण रूपेण सफाई के मद से विभिन्न प्रकार की सफाई, सामग्री एवं बायोमेडिकल वेस्ट कनेक्शन बैग की समग्री आदि का क्रय किया गया कुल क्रय रू 38,89,432/– का किया गया। इस मद में मापदण्ड रू शून्य था परंतु पूर्ण व्यय रू 38,89,432/– का सामग्री क्रय पर किया गया । जो कि वित्तीय अनियमितता है। साथ ही लेखाशीर्षो का मद परिवर्तन किया गया ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा द्वारा इस सामग्री के क्रय में लोक निधि से व्यय के लिए आवश्यक शर्तो का पालन नहीं करते हुए म0प्र0 वित्त संहिता, भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015, म0प्र0 वित्तीय संहिता भाग 1 के नियमों का पालन भी नहीं किया गया।

डॉ आर0के0धुर्वे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हरदा द्वारा कार्यालय में क्रय समिति का गठन नहीं किया गया तथा भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन न करने तथा क्रय आदेशों को टुकड़ो–टुकड़ो में विभाजित किये जाने के साथ ही वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग 2 में प्रत्योजित अधिकारों का उल्लंघन किया गया। ।

अतः जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार डॉ आर0के0धुर्वे, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण उन्होने स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम (i) (ii) (iii) का उल्लंधन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अतः एतद् आदेश द्वारा डॉ0 धुर्वे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला हरदा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम "1966" के नियम 09 (1) के अंतर्गत जनहित में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये इनका मुख्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें , भोपाल संभाग, भोपाल निर्धारित किया जाता है। डॉ0 धुर्वे, को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

डॉ किशोर कुमार नागवंशी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा के पद का प्रभार सौंपा जाता है।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अनुमोदित।

29/6/18

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ. कमांक.4/शिका/सेल–5/हरदा/2018/ भोपाल,दिनांक /06/2018

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,म.प्र.।
02. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
03. संचालक (अस्पताल प्रशासन), स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।
04. अपर संचालक(वित्त), स्थानीय कार्यालय– डॉ0 आर0के0धुर्वे, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हरदा के विरूद्ध आरोप पत्रादि समय–सीमा 10 दिवस की समयावधि में तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
05. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग,भोपाल की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की प्रविष्टी, डॉ0 आर0के0धुर्वे, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हरदा की सेवा पुस्तिका में अंकित करें।
06. संभागीय कोष एवं लेखा, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
07. कलेक्टर जिला हरदा, मध्यप्रदेश ।
08. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला हरदा, म0प्र0।
09. जिला कोषालय अधिकारी, हरदा, मध्यप्रदेश।
10. डॉ0 आर0के0धुर्वे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हरदा द्वाराः– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल,म0प्र0।
11. डॉ किशोर कुमार नागवंशी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा, की ओर पालनार्थ :– द्वारा क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल,म0प्र0।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें ।
13. आदेश नस्ति।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका/सेल–2/धार/2018/1233/आदेश// भोपाल, दिनांक29/06/2018

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालयों में सफाई, सुरक्षा एवं बायो मेडिकल वेस्ट मद में निर्धारित वार्षिक मापदण्ड राशि से अधिक राशि का व्यय किये जाने संबधी तथ्य, संचालनालय की बजट शाखा के संज्ञान में आने के परिणामस्वरूप संचालनालय स्तर पर आदेश क्रमांक 6/ बजट–2210/2018–19/228 दिनांक 21.06.2018 द्वारा जॉचदल गठित कर प्रकरण की जॉच कराते हुये जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया।

जांच दल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार में सफाई मद में निम्न वित्तीय अनियमिततायें परिलक्षित हुई :–

पूर्ण रूपेण सफाई के मद से विभिन्न प्रकार की सफाई सामग्री, बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन बैग की सामग्री आदि का वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू 10220690 क्रय किया गया। यह भी कि इस मद में मापदण्ड रू 4910454 अनुसार 15 प्रतिशत सामग्री रू 640500 मात्र अनुमत्य भी की जाये तो भी इस सीमा से अधिक रू 9580190 वित्तीय वर्ष 2018–19 में सामग्री क्रय की गई,जो कि वित्तीय अनियमितता है। लेखशीर्षो का मद परिवर्तन किया गया।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा इस सामग्री के क्रय में लोक निधि से व्यय के लिए आवश्यक शर्तो का पालन नहीं करते हुए म0प्र0 वित्त संहिता, भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015, म0प्र0 वित्त संहिता भाग 1 के नियमों का पालन भी नहीं किया गया।

डॉ.एस.के. खरे, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,धार द्वारा कार्यालय में क्रय समिति का गठन भी नहीं किया गया तथा क्रय आदेशों को टुकडो–टुकडो में विभाजित किये जाने के साथ ही वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग 2 में प्रत्योजित अधिकारों का भी उल्लंघन किया गया ।

अतः जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार डॉ0एस.के.खरे, अस्थिरोग विशेषज्ञ,सह प्रभारी सिविल सर्जन,कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण उन्होने स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम (i) (ii) (iii) का उल्लंधन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अतः एतद् आदेश द्वारा डॉ0 एस0के0 खरे, अस्थिरोग विशेषज्ञ सह प्रभारी सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय धार को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम "1966" के नियम 09 (1) के अंतर्गत जनहित में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये निलंबन काल में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर निर्धारित किया जाता है। निलंबन काल में डॉ0 खरे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

डॉ.महेश कुमार बौरासी, अस्थिरोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय धार को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, धार का प्रभार सौंपा जाता है।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अनुमोदित।

29/6/18

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक.4/शिका/सेल–2/धार/2018/ भोपाल,दिनांक /06/2018

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल,म.प्र.।
02. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
03. संचालक(अस्पताल प्रशासन), स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।
04. अपर संचालक (वित्त), स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि डॉ0 एस0के0 खरे के विरूद्ध जारी होने वाले आरोप पत्र का प्रारूप 10 दिवस की समयावधि में तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
05. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग,सूचनार्थ प्रेषित्।
06. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा इंदौर संभाग, इंदौर,मध्यप्रदेश।
07. कलेक्टर,जिला धार,मध्यप्रदेश।
08. जिला कोषालय अधिकारी,धार, मध्यप्रदेश ।
09. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार,म0प्र0।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की प्रविष्टी, डॉ0 ए0के0 खरे, सिविल सर्जन, की सेवा पुस्तिका में अंकित करें।
11. डॉ0एस.के.खरे,प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार द्वाराः–क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश।
12. डॉ.एम.के.बौरासी,अस्थिरोग विशेषज्ञ,जिला चिकित्सालय धार की ओर पालनार्थ द्वाराः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार।
13. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. आदेश नस्ति।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4 / शिका / सेल–5 / सीहोर / 2018 / 1231 भोपाल, दिनांक 29 / 06 / 2018

// आदेश //

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालयों में सफाई, सुरक्षा एवं बायो मेडिकल वेस्ट मद में निर्धारित वार्षिक मापदण्ड राशि से अधिक राशि का व्यय किये जाने संबधी तथ्य, संचालनालय की बजट शाखा के संज्ञान में आने के परिणामस्वरूप संचालनालय स्तर पर आदेश क्रमांक 6 / बजट–2210 / 2018–19 / 228 दिनांक 21.06.2018 द्वारा जॉचदल गठित कर प्रकरण की जॉच कराते हुये जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया।

जांच दल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर में सफाई मद में निम्न वित्तीय अनियमिततायें परिलक्षित हुई :–

पूर्ण रूपेण सुरक्षा के मद से विभिन्न प्रकार की सुरक्षा सामग्री, आदि का क्रय किया गया कुल क्रय रू 49,98,893 / – का किया गया। इस मद में जो व्यय होना था, वह मैनपॉवर पर होना था । इस मद में मापदण्ड रू 12,96,000 / – था परंतु पूर्ण व्यय मैनपावर पर न करते हुये रू 49,98,893 / – का सामग्री क्रय पर किया गया। जो कि वित्तीय अनियमितता है । लेखाशीर्षो का मद परिवर्तन किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर द्वारा इस सामग्री के क्रय में लोक निधि से व्यय के लिए आवश्यक शर्तो का पालन नहीं करते हुए म0प्र0 वित्त संहिता, भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015, म0प्र0 वित्तीय संहिता भाग 1 के नियमों का पालन भी नहीं किया गया।

डॉ दयाराम अहिरवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीहोर द्वारा कार्यालय में क्रय समिति का गठन नहीं किया गया तथा क्रय आदेशों को टुकड़ो–टुकड़ो में विभाजित किये जाने के साथ ही वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग 2 में प्रत्योजित अधिकारों का उल्लंघन किया गया। ।

अतः जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार डॉ0 दयाराम अहिरवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीहोर द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण उन्होने स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम (i) (ii) (iii) का उल्लंधन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अतः एतद् आदेश द्वारा डॉ0 दयाराम अहिरवार, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीहोर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम "1966" के नियम 09 (1) के अंतर्गत जनहित में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल निर्धारित किया जाता है। डॉ0 अहीरवार, को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

डॉ प्रभाकर तिवारी, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला भोपाल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर के पद का प्रभार एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से सौंपा जाता है।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अनुमोदित।

26/6/18

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरंतर.....2

पृ. कमांक.4 / शिका / सेल–5 / सीहोर / 2018 / भोपाल,दिनांक / 06 / 2018

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल,म.प्र.।
02. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र. ।
03. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की प्रविष्टी, डॉ0 अहिरवार, की सेवा पुस्तिका में अंकित करें।
04. संचालक(अस्पताल प्रशासन), स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।
05. अपर संचालक (वित्त), स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि डॉ0 दयाराम अहिरवार के विरूद्ध जारी होने वाले आरोप पत्र का प्रारूप 10 दिवस की समयावधि में तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
06. संभागीय कोष एवं लेखा भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
07. कलेक्टर जिला सीहोर, मध्यप्रदेश ।
08. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीहोर,म0प्र0।
09. जिला कोषालय अधिकारी, सीहोर, मध्यप्रदेश।
10. डॉ0 दयाराम अहिरवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, द्वाराः– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल,म0प्र0।
11. डॉ प्रभाकर तिवारी, जिला टीकाकारण अधिकारी, भोपाल की और पालनार्थ – द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें ।
13. आदेश नस्ति।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका/सेल–5/राजगढ़/2018/1229 भोपाल, दिनांक29/06/2018

//आदेश //

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालयों में सफाई, सुरक्षा एवं बायो मेडिकल वेस्ट मद में निर्धारित वार्षिक मापदण्ड राशि से अधिक राशि का व्यय किये जाने संबधी तथ्य, संचालनालय की बजट शाखा के संज्ञान में आने के परिणामस्वरूप संचालनालय स्तर पर आदेश क्रमांक 6/ बजट–2210/2018–19/228 दिनांक 21.06.2018 द्वारा जॉचदल गठित कर प्रकरण की जॉच कराते हुये जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया।

जांच दल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ में सफाई मद में निम्न वित्तीय अनियमिततायें परिलक्षित हुई :–

पूर्ण रूपेण सफाई के मद से विभिन्न प्रकार की सफाई सामग्री, औषधि एवं अन्य प्रकार की सामग्री, उपकरण आदि का क्रय किया गया कुल क्रय रू 98,54,991 का किया गया। यह भी कि इस मद में मापदण्ड रू 34,04,736/– अनुसार 15 प्रतिशत सामग्री रू 4,44,096/– मात्र अनुमत्य भी की जाये तो भी इस सीमा से अधिक सामग्री पर क्रय रू 94,10,895/– की गई, जो कि वित्तीय अनियमितता है। लेखाशीर्षो का मद परिवर्तन किया गया।

मुख्य चिंकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़ द्वारा लोक निधि से व्यय के लिए आवश्यक शर्तो का पालन न करते हुए म0प्र0 वित्त संहिता, भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 तथा वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग 2 में प्रत्योजित अधिकारों का उल्लंघन किया गया। म.प्र. कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 291 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की जिम्मेदारी के भी कर्तव्य का निर्वहन न करते हुए शासकीय कोष से असमानुपातिक आहरण करवाया गया एवं समग्रता में इस नियम का पालन नहीं किया गया।

अतः जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार डॉ0 अनुसूईया गवली, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण उन्होने स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम (i) (ii) (iii) का उल्लंधन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अतः एतद् आदेश द्वारा डॉ0 अनुसूईया गवली, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम "1966" के नियम 09 (1) के अंतर्गत जनहित में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल नियत किया जाता है। डॉ0 अनुसूईया गवली, को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

डॉ रमेश चन्द्र बंसीवाल, अस्थिरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय राजगढ़, को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ के पद का प्रभार सौंपा जाता है।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अनुमोदित।

(विवेक श्रोत्रिय) 29/6/18
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0

निरंतर.....2

पृ. कमांक.4/शिका/सेल–5 /राजगढ़/2018/ भोपाल,दिनांक /06/2018
प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
02. स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय भोपाल,म0प्र0।
03. संचालक(अस्पताल प्रशासन), स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।
04. अपर संचालक (वित्त), स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि डॉ0 अनुसूईया गवली के विरूद्ध जारी होने वाले आरोप पत्र का प्रारूप 10 दिवस की समयावधि में तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
05. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग,सूचनार्थ प्रेषित्।
06. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा भोपाल संभाग, भोपाल,मध्यप्रदेश।
07. कलेक्टर,जिला राजगढ ,मध्यप्रदेश।
08. जिला कोषालय अधिकारी, राजगढ, मध्यप्रदेश ।
09. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ,म0प्र0।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय राजगढ,म0प्र0।
11. डॉ0 अनुसूईया गवली, स्त्रीरोग विशेषज्ञ एवं प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ द्वाराः–क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।
12. डॉ.रमेश चंद्र बंसीवाल,अस्थिरोग विशेषज्ञ,जिला चिकित्सालय राजगढ की ओर पालनार्थ द्वाराः– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय राजगढ़,म0प्र0।
13. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि ज़ारी आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. आदेश नस्ति।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश